भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1137

दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु योजनाएं

***1137. डॉ. निशिकांत दुबे :**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान आज की तारीख तक आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का विशेषकर झारखंड में राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए देश में कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की सभी स्कीमों को तीन शीर्षों (वर्टिकल्स) अर्थात् (1) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में मिला दिया गया है। इस स्कीम का विवरण निम्नानुसार है :

(i) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0**: इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए स्कीम को 3 प्राथमिक शीर्षों (वर्टिकल्स) (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है।

(ii) **मिशन शक्ति**: मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्रमश **'संबल'** और **'सामर्थ्य'** नामक दो उप-स्कीमें शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

(बीबीबीपी) की मौजूदा स्कीमों को संबल उप-स्कीम का हिस्सा बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वाधार गृह (शक्ति सदन के रूप में पुनर्नामित) और कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास के रूप में पुनर्नामित) और कृष्णा कुटीर,वृंदावन (विधवाओं के लिए घर), महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय हब (एनएचईडब्ल्यू) राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम (पालना के रूप में पुनर्नामित) की मौजूदा स्कीमों को **"सामर्थ्य"** में शामिल किया गया है।

(iii) **मिशन वात्सल्य** : (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता करने और उनका पोषण करने (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करने (iii) नवोन्वेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं हेतु अवसर प्रदान करने (iv) यदि आवश्यक हो तो अंतराल वित्तपोषण द्वारा अभिसरण कार्रवाई पुष्ट करने आदि उद्देश्यों के साथ मिशन मोड में देखभाल और जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर आउटरीच तथा सुरक्षा हेतु एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) को मिशन वात्सल्य का नया नाम दिया गया है।

(ख) : उक्त स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान आबंटित/जारी की गई तथा उपयोग की गई निधियों का झारखंड सहित राज्य-वार और स्कीम-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2023-24 (05.12.2023 की स्थिति के अनुसार) के दौरान मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं	राज्य	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 **	मिशन शक्ति **	मिशन वात्सल्य**
1.	आंध्र प्रदेश	17072.00	847.00	0.00
2.	बिहार	103695.00	24.00	0.00
3.	छत्तीसगढ	28635.00	944.00	0.00
4.	गोवा	619.00	20.00	0.00
5.	गुजरात	22447.00	734.00	0.00
6.	हरियाणा	11055.00	472.00	0.00
7.	**झारखंड**	**33330.00**	**268.00**	**0.00***
8.	कर्नाटक	73657.00	1304.00	4892.00
9.	केरल	18371.00	90.00	262.00
10.	मध्य प्रदेश	73863.00	539.00	0.00
11.	महाराष्ट्र	117208.00	1540.00	0.00
12.	ओडिशा	59405.00	1385.00	2101.00
13.	पंजाब	15055.00	437.00	705.00
14.	राजस्थान	71210.00	1400.00	0.00
15.	तमिलनाडु	43869.00	1828.00	552.00
16.	तेलंगाना	11777.00	183.00	364.00
17.	उत्तर प्रदेश	145144.00	73.00	3433.00
18.	पश्चिम बंगाल	63807.00	0.00	20.00
19.	दिल्ली	8778.00	219.00	0.00
20.	पुदुचेरी	409.00	108.00	0.00
21.	हिमाचल प्रदेश	16139.00	1113.00	0.00
22.	जम्मू एवं कश्मीर	34319.00	1497.00	0.00

23.	उत्तराखंड	15213.00	0.00	1365.00
24.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00
25.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
26.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
27.	लद्दाख	0.00	0.00	0.00
28.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
29.	अरूणाचल प्रदेश	7930.00	61.00	0.00
30.	असम	88639.00	8303.00	0.00
31.	मणिपुर	13218.00	289.00	0.00
32.	मेघालय	10938.00	257.00	108.00
33.	मिजोरम	3552.00	679.00	3064.00
34.	नागालैंड	11178.00	585.00	1344.00
35.	सिक्किम	10.00	336.00	0.00
36.	त्रिपुरा	9822.00	0.00	972.00

*मिशन वात्सल्य के अंतर्गत झारखंड राज्य सरकार को निधियां निम्नलिखित कारणों से जारी नहीं की जा सकीं - **(i)** एसएनए-**09** रिपोर्ट का अनुपालन न करना **(ii)** मिशन वात्सल्य स्कीम के घटकों के लिए अलग एसएलएस जैसे चाइल्ड हेल्प लाइन नहीं खोली गई और एसएनए में मैप नहीं की गई **(iii)** ब्याज जमा नहीं किया गया।

** उक्त स्कीमों के तहत उपयोग प्रमाण पत्र **2023-24** के लिए देय नहीं है